न्यायालय उपखण्डाधिकारी कोटपूतली (जयपुर)
पीठासीन अधिकारी :- श्री सुरेश चौधरी (R.A.S)
वाद सं० 70/2011

1. रामेश्वर पुत्र गणेश
2. श्योराम पुत्र लादू (फौत)
2/1. रामकुंवार
2/2 महादेव
2/3. जयदयाल पुत्रान श्योराम
2/4. सत्यवीर पुत्र गुलदयाल
2/5 भागीरथ पुत्र गुलदयाल
2/6. मूर्तिदेवी पत्नि गुलदयाल
2/7 सूजी
2/8 चल्ली पुत्रियान श्योराम समस्त जाति गुर्जर निवासी खेड़की मुकर्रब तहसील-कोटपूतली

(वादीगण)

बनाम

1. मनोहरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी खेड़की मुकर्रब तहसील-कोटपूतली
2. हर खास एवं आम खेड़की मुकर्रब
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली
4. सब रजिस्ट्रार कोटपूतली

(प्रतिवादीगण)

दावा घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय दिनांक :- 23.3.18

---

पत्रावली आज पेश हुई। उपर्युक्त उनवानी दावा बाबत घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

लगातार पृष्ठ-

का वादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता न्यायालय हाजा में इस आशय का प्रस्तुत किया है, कि ग्राम खेड़ली मुकन्दपुरा स्थित साबिक ख० नं० 487 । बीघा 5 बिस्वा जिसके हाल ख० नं० 155 रकबा 0.18 है आबाद हुए है, पा वादीगण के बुजुर्ग लादूराम पुत्र भूराराम सम्वत 2005 से पहले उपरोक्त काबिज काश्त थे। उनके पश्चात वादीगण बिना किसी बाधा के निर्बाध रूप से काबिज चले आ रहे हैं। इस प्रकार R.T. Act 1955 प्रभाव में आने पर एवं माफी जप्त होने पर कानूनन वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। प्रतिवादी सं० -1 माफीदार थे, जो उक्त आराजी पर पच्चास सालों से कभी खातेदार नहीं रहे। तथा ना ही उन्होंने कभी काश्त की एवं उनका कोई पता ठिकाना नहीं है। वह फौत हो चुके या उनके कोई वारिस भी है। लेकिन उनका नाम अभी भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसलिए उन्हें पक्षकार बनाया गया है। वादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण/वादीगण को खातेदार के रूप में दर्ज करने के लिए भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारियों को निरन्तर निवेदन किया। किन्तु वे इन्कार हो गये। प्रतिवादीगण ने उक्त आराजीयात को दीगर व्यक्ति के नाम दर्ज कर लेन-बेचान करने एवं वादीगण को गलत बिना अधिकार बेदखल करने एवं फसल नष्ट करने की धमकी दी। यही विनाय दावा है। दावा अन्दर मियाद एवं कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है, तथा माननीय न्यायालय को सुनने एवं तय करने का अधिकार

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

है। अत: दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे।

दावा प्रस्तुत करने पर रिपोर्ट सारिस्ता ली गई। दावा काबिले समाअत होने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की सुनवाई हेतु जारिये सम्मन एवं अखबार दैनिक नवज्योति दिनांक 15.10.17 में नोटिस शाया करवाकर तलबी करवाई गई। किन्तु प्रतिवादीगण के बावजूद तामील एवं सूचना पर भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण नियत की गई।

वादीगण की ओर से अपनी दस्तावेजी शहादत में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2065-2068 प्रदर्श-1, जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत् 2022 प्रदर्श-2, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-3, ग्राम पंचायत का प्रमाण-पत्र प्रदर्श-4 एवं गिरदावरी की रसीदें प्रदर्श-5 से 17 व मौका रिपोर्ट प्रदर्श-18 पेश की। जुबानी साक्ष्य में वादी रामेश्वर एवं महावीर उर्फ महादेव ने अपने स्वयं के व गवाह रतिराम, प्रकाश सत्यवीर के बयानों के शपथ-पत्र पेश किये। तथा साक्ष्य पूर्ण होने पर पत्रावली वास्ते बहस समाअत की गई।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। उन्होंने अपने दावा में वर्णित तथ्यों का वर्णन करते हुए लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण कदीमी से अपने बुजुर्गों के समय से आराजी मुतदाविया पर सम्वत् 2005 से लगातार 60 वर्षों से अधिक समय से बहैसियत उपखण्ड खातेदार काबिज होकर बिना किसी बाधा

लगातार पृष्ठ-4

काबिज चले आ रहे है, तथा रिहायस के लिए छप्पर आदि एवं पशुओं के लिए गुवाड़ा आदि बना रखा है। इस प्रकार एडवर्स पजेशन एवं माफी जप्त होने पर कानूनन खातेदारी काश्तकारी अधि-कार प्राप्त हो चुके है। अतः उक्त आराजी विवादास्पद की खातेदारी में से प्रतिवादी सं०-1 का नाम हजफ करके उनके स्थान पर वादीगण का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवाने के आदेश फरमाये जावे।

हमने विज्ञ अधिवक्ता वादीगण की इक-तरफा बहस पर विचार किया, तथा प्रकरण के तथ्यों एवं प्रस्तुत रिकोर्ड शहादत का भलिभांति अध्ययन किया।

वादीगण द्वारा आराजी मुतदाविया पर सन 2005 से अपने बुजुर्गो के समय से लगातार बिना किसी बाधा के वंशानुगत उपकृषक खातेदार काबिज काश्त है। उसके आधार पर तथा माफी जप्त होने एवं एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी कलेम की है। हम सर्वप्रथम इस स-म्बन्ध में परीक्षण करना उचित समझते है यह सही है कि जागीर अधिनियम वर्ष 1952 लागू होने के समय एवं जागीर पुनर्ग्रहण की तिथि के पश्चात भी उसके द्वारा ही भूमि का लगान दिया है। तथा काबिज और वह अधिनियम की धारा 19 के अधीन उपकृषक व खुदकाश्त के कृषक के रूप में खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है लेकिन उपकृषक का इन्द्राज वार्षिक अभिलेख में दर्ज होना आवश्यक है। खसरा गिरदावरी का इन्द्राज पर्याप्त नही है। क्योंकि खसरा गिरदावरी वार्षिक अभिलेख नही है। जमाबन्दी वार्षिक अभिलेख भी

[signature]
उपखण्ड अधिकारी

लगातार पृष्ठ-5

(5)

जमाबंदी में आती है। इससे स्पष्ट है, कि धारा 19 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए वार्षिक अभिलेख में R.T. Act के प्रावधानों के प्रभावशील होने की तिथि पर उप कृषक का इन्द्राज होना आवश्यक है। प्रस्तागत प्रकरण में वादीगण की ओर से उक्त इन्द्राज को उनके पूर्वजान के समय से उक्त R.T. Act लागू होने की तिथि से सिद्ध करने का कोई रिकॉर्ड दस्तावेज पेश नहीं किये। वादीगण की ओर से केवल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत 2022 से 2026 की नकल प्रदर्श-2 पेश की है। जिसमें में भी कॉलम नं०-5 में नाम कृषक विवरण में वादीगण व उनके पूर्वजान की बजाय प्रतिवादी मनोहरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण का ही नाम दर्ज है। इसी प्रकार तत्पश्चात् हाल जमाबन्दी सम्वत 2065-68 प्रदर्श-1 में भी आराजी मुतदाविया की खातेदारी प्रतिवादी के नाम दर्ज है। R.T. Act 1955 प्रभाव में आने, तथा माफी जब्त होने एवं कानून रूप से अपने खातेदारी अधिकार उत्पन्न होना रिकॉर्ड दस्तावेजात से सिद्ध करवाने में लेश मात्र भी सफल नहीं रहे है। केवल मात्र लगान की अस्पष्ट रसीदें, मौखिक साक्ष्य एवं मौका रिपोर्ट के आधार पर एवं R.T. Act के प्रावधानों के अनुसार एडवर्स पजेशन के आधार पर वादीगण उक्त आराजी मुतदाविया पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के मुस्तहक नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण का यह कहना है, कि उक्त आराजी मुतदाविया पर वहैसियत

उपखण्ड अधिकारी

लगातार पृष्ठ-6

उपरोक्त खातेदार 60 वर्षों से अधिक समय से बिना किसी बाधा के काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादीगण स्वयं ने अपने वाद-पत्र के चरण नं. 7 में यह अभिकथन किया है, कि प्रतिवादीगण मनोहर पुत्र लक्ष्मीनारायण उक्त आराजी विवादास्पद को काबिज काश्त नहीं रहे, तथा ना कभी खातेदार रहे, तथा ना ही उनके बारे में कोई जानकारी है। सम्भवतः वो फौत हो चुके हैं, तथा उनका कोई वारिस भी नहीं है। जबकि इसरी ओर प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त आराजीयात को रहन बेचान करने, तथा जबरन बिना किसी अधिकार के वादीगण को बेदखल करने का उल्लेख है। परन्तु वादीगण एवं उनके अधिवक्ता ने कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया जब प्रतिवादी सं. 1 लावारिस फौत हो गया, तो उक्त आराजीयात को अन्य किसी दिगर व्यक्ति को रहन बेचान व बेदखल करने की धमकी कैसे दी गई। विनाय दावा पैदा होने के तथ्य भी प्रमाणित नहीं होते हैं। इस प्रकार वादीगण का दावा वर्जित होना प्रकट होता है। इसलिए भी दावा पोषणीय नहीं है। वादीगण ने अपने वाद में आराजी मुतदाविया के अभिलिखित खातेदार लक्ष्मीनारायण सह खातेदार को भी आवश्यक पक्षकार के असंयोजन से वाद दोष ग्रसित होने के कारण भी चलने योग्य नहीं है।

वादीगण का दावा अस्पष्ट तथ्यों पर आधारित होने एवं सारहीन होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के

(6)—

लगातार पृष्ठ-7

(7)

फलस्वरूप वादीगण का वाद पक्षसिद्धि के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.3.18 को लिखवाया जाकर क्षेरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned by CamScanner